पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 146/2018

अनवान :

कमल कुमार पुत्र जुगलकिशोर जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. भागीरथ वल्द तेजा जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. जुगलकिशोर पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. माया पुत्री जुगलकिशोर जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाठिया व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 1 बीएचडी सम्वत् 2071–74 खाता सं0 65/63 के मु0नं0 56 के किला नं0 15 व इसी चक के खाता सं0 66/64 के मु0नं0 55 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 की 3.036 है0 नहरी तथा मु0नं0 56 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 नहरी, मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 नहरी कुल 6.5780 है0 नहरी कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हिस्सा की सम्पूर्ण कृषि भूमि व प्रतिवादी सं0 1 ने चक 1 बीएचडी की कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा चक 6 बारानी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता नं0 91/88 के मु0नं0 102 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16 की कुल 3.542 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज0) – मुद्रा)

10.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (मुनस्य)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रकरण सं0 : 146/2018

अनवान :

कमल कुमार पुत्र जुगलकिशोर जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. भागीरथ वल्द तेजा जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. जुगलकिशोर पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. माया पुत्री जुगलकिशोर जाति कुम्हार निवासी भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद सिंगाठिया : **वादी**

वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 10.07.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दादा प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के नाम चक नं0 1 बीएचडी सम्वत् 2071–74 खाता सं0 65/63 के मु0नं0 56 के किला नं0 15 व इसी चक के खाता सं0 66/64 के मु0नं0 55 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 की 3.036 है0 नहरी तथा मु0नं0 56 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 नहरी, मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 नहरी कुल 6.578 है0 नहरी कृषि भूमि तथा चक 6 बारानी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता नं0 91/88 के मु0नं0 102 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16 की कुल 3.542 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है।

चक नं0 1 बीएचडी की कृषि भूमि भू–प्रबन्धक विभाग सम्वत् 2019 की जमाबन्दी के मुताबिक मु0नं0 55 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 18 ता 23 मु0नं0 56 के किला नं0 16 ता 25, मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4 की कुल 26 बीघा भूमि वादी के पड़दादा व प्रतिवादी सं0 1 के पिता तेजाराम वल्द साधुराम कौम कुम्हार निवासी भोजासर के नाम कब्जा काश्त होने के कारण कब्जा काश्त में थी। उक्त जमाबन्दी के विशेष विवरण में वादी के पड़दादा तेजाराम पुत्र साधुराम के नाम दर्ज थी। उसके उपरान्त जमाबन्दी सम्वत् 2035 में मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4, मु0नं0 55 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 व मु0नं0 56 के किला नं0 16 ता 25 की कुल 26 बीघा नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसके उपरान्त विरासतन इन्तकाल नं0 42 से उक्त कृषि भूमि वादी के दादा प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक नं0 6 बारानी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) 10.7.19
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

की जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 35 के मु0नं0 102 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16 की 14 बीघा बारानी कृषि भूमि वादी के पड़दादा तथा प्रतिवादी के पिता तेजाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि वादी के दादालाई कृषि भूमि है वादी का उक्त भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा है।

प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ के एक ही संतान प्रतिवादी सं0 2 जुगलाल है तथा जुगलाल के दो वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 3 है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 का 1/3 हिस्सा मुताबिक दादालाई कृषि भूमि के हक व हिस्सा आती है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 चक नं0 1 बीएचडी की कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है, इसलिए वादी चक 1 बीएचडी के मु0नं0 55, 56, 57 की 6.578 है0 कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा अपने नाम व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादी सं0 3 का विवाह वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने मिलकर बड़ी धूमधाम से कर दिया और प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तर्क कर दिया है।

चक 1 बीएचडी की कृषि भूमि के मु0नं0 55, 56, 57 की कुल 6.578 है0 नहरी कृषि भूमि को 1/2 हिस्सा अपने स्वयं के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाना चाहता है तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम स्वयं के भरण पोषण इत्यादि के बाबत चक नं0 6 बीएचडी के मु0नं0 102 की 3.542 है0 बारानी कृषि भूमि स्वयं के नाम रहेगी।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी कमल पुत्र जुगलकिशोर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित जमाबन्दी चक 6 बारानी के खाता सं0 91/88 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, प्रमाणित जमाबन्दी चक 1 बीएचडी के खाता सं0 65/63, 65/64 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग चक 1 भादरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी चक 1 बीएचडी सम्वत् 2035 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी चक 6 बारानी सम्वत् 2032 से 35 प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 व 7, शपथ पत्र प्रदर्श 8 व 9 प्रदर्शित करवाये एवं प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 91/88 सम्वत् 2073 से 76 पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 1 बीएचडी के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि को दादालाई होना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) विभाग चक 1 भादरा सम्वत् 2019 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी चक 1 बीएचडी सम्वत्

उपखण्डाधिकारी (न्यायालय)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

2035 से 38 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी चक 6 बारानी सम्वत् 2032 से 35 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा तेजा वल्द साधु के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 में भागीरथ के वारिसान में पत्नि तुलछा, पुत्र जुगलकिशोर होना व प्रदर्श 6 में जुगलकिशोर के वारिसान में पत्नी भंवरी, एक पुत्र कमल कुमार व एक पुत्री माया होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है तथा वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं0 1 बीएचडी सम्वत् 2071–74 खाता सं0 65/63 के मु0नं0 56 के किला नं0 15 व इसी चक के खाता सं0 66/64 के मु0नं0 55 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 की 3.036 है0 नहरी तथा मु0नं0 56 के किला नं0 16 ता 25 की 2.530 है0 नहरी, मु0नं0 57 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 नहरी कुल 6.5780 है0 नहरी कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 1 भागीरथ का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हिस्सा की सम्पूर्ण कृषि भूमि व प्रतिवादी सं0 1 ने चक 1 बीएचडी की कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा चक 6 बारानी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 के खाता नं0 91/88 के मु0नं0 102 के किला नं0 1 ता 10, 13 ता 16 की कुल 3.542 है0 बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.))

10.7.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (नियम)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़